उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग
संख्याः 544/VII-2–16/146–एम.एस.एम.ई./2013
देहरादून, दिनांकः 22 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य के समेकित विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को और आकर्षक बनाते हुए बढ़ावा देने तथा वर्षवार रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/VII–2/15–146–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 31–1–2015 द्वारा प्राख्यापित उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 लागू है।

उक्त नीति के सम्बन्ध में समय–समय पर प्राप्त सुझावों एवं मांगों के दृष्टिगत् तथा प्रदेश में पूर्व से स्थापित इकाईयों को भी एम.एस.एम.ई. नीति 2015 का लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीति में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

अध्याय–2: प्रस्तावना का अन्तिम पैरा

वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन
यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।	यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले चिन्हित नये विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रदान करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। **(ii) नीति के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्थापित विद्यमान औद्योगिक चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को भी, जो अपने विद्यमान उद्यम की प्लांट एवं मशीनरी/उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि विस्तारीकरण, विविधिकरण या अभिनवीकरण के रूप में करता हो, नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता तथा ब्याज उपादान की सुविधा उपलब्ध होगी।** **(iii) रूग्ण घोषित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के पुर्नजीवीकरण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुर्नवासन प्रस्ताव पर विस्तारीकरण, विविधिकरण तथा अभिनवीकरण करने वाले चिन्हित**

	विनिर्माणक उद्यमों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा।
	<u>विशिष्ट प्राविधानः</u> **श्रेणी–ए तथा बी के क्षेत्रों में यह आदेश निर्गत होने की तिथि से 18 मॉह के अन्तर्गत उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों को उक्त तिथि से अधिकतम 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 के पश्चात् भी नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन के लाभ प्राप्त होंगे।**

<u>वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिये चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण</u>

विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः–

वर्तमान प्राविधान		**प्रस्तावित संशोधन**	
श्रेणी	**सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र**	**श्रेणी**	**सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र**
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	• जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग। • जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड। • जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।	**श्रेणी–बी**	• **जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।** • **जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।** • **जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।**
		श्रेणी–बी+	• **जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढ़ालवाला, मुनी–की–रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र।** • **जनपद नैनीताल के कोटाबाग**

			विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र। • **जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।**
श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड।	श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।	श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (**श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर**)।
नोटः	**(अ) श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।** **(ब) श्रेणी–बी+ के अन्तर्गत आच्छादित मैदानी क्षेत्रों का निर्धारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की संस्तुति के आधार पर पृथक से किया जायेगा।**		

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा/विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम

वित्तीय प्रोत्साहनों/अनुदान सहायता के लिए निम्नांकित अतिरिक्त गतिविधियां/क्रियाकलाप श्रेणी ए एवं बी के क्षेत्रों हेतु पात्र/अर्ह (eligible) गतिविधियों में सम्मिलित होंगीः–

- **लाल श्रेणी (Red Category) के निम्नलिखित उद्योग भी वित्तीय प्रोत्साहन/ अनुदान सहायता के लिए पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होंगेः**
  - **Milk processing and dairy products, Butter & Cheese.**
  - **Non alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products.**
  - **Fermentation/Bottling of Foriegn Liquir such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery and Bruwery.**
  - **Vegetable oils including solvent extraction and refinery/ hydrogenated oils.**

- पर्यटन गतिविधि के रूप में संचालित हाउस बोट/फ्लोटिंग हट्स परियोजना।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सैन्टर।
- प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियों में कुक्कुट पालन उद्योग के लिए बॉयलर/लेयर प्रजनन परिक्षेत्र की न्यूनतम सीमा 1000 पैरेन्ट/चूजे की होगी।
- पंचगव्य दव्य।
- स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसेः नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं।
- सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- रेता, बालू, बजरी तथा प्लाई ऐश को कच्चेमाल के रूप से उपयोग कर नये उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग।

<u>स्पष्टीकरणः–</u>

- मूल नीति में चिन्हित विभिन्न गतिविधियां भी श्रेणीवार अनुमन्यता हेतु पात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगी तथा मूल नीति में श्रेणी–बी के लिये विभिन्न लाभों हेतु चिन्हित गतिविधियां नवसृजित श्रेणी–बी+ के क्षेत्रों के लिये यथावत लागू रहेंगी।
- विकास आयुक्त कार्यालय भारत सरकार के आदेश संख्याः–5(6)/2013–MSME POL दिनांक 05.11.2014 द्वारा परम्परागत तथा गैर परम्परागत तरीकों से ऊर्जा उत्पादन को विनिर्माणक गतिविधियों में सम्मिलित होने सम्बन्धी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। अतः विद्युत वितरण के प्रयोजन से राज्य में परम्परागत तथा गैर परम्परागत् तरीकों से ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों तथा इनके लिए उपकरण/मशीन बनाने वाली इकाईयों को भी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं, एम.एस.एम.ई. नीति के अन्तर्गत श्रेणीवार अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होंगी।
- श्रेणी–सी एवं डी में मात्र विनिर्माणक गतिविधियों को नीति के अन्तर्गत श्रेणीवार विभिन्न अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

<u>अध्याय–4</u>: वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट

<u>प्रस्तर–4.1</u>: निवेश प्रोत्साहन सहायता

वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित संशोधन		
क्र. सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा	क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
2.	श्रेणी–बी	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)	2.	श्रेणी–बी **श्रेणी–बी+**	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)

स्पष्टीकरण:

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
* भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम ₹ 60 लाख से अधिक नहीं होगी। * श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।	• भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना में अनुमन्य उपादान की सुविधा के अतिरिक्त श्रेणी–ए, बी एवं सी के जनपदों/क्षेत्रों में राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता भी अनुमन्य होगी, किन्तु इन योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा/मात्रा उद्यम में किये गये कुल स्थिर पूंजी निवेश का 60 प्रतिशत अधिकतम ₹ 60 लाख से अधिक नहीं होगी। • श्रेणी–डी में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी। • **स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम जैसे: नैचुरल फाइबर प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिशिंग व डाइंग प्लांट तथा ऐसे अन्य उद्यम जो पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों (कच्चा माल) का उपयोग उत्पाद के प्रसंस्करण/परिष्करण में करते हैं, को वर्गीकृत चिन्हित क्षेत्रों/जनपदों में निवेश प्रोत्साहन सहायता की अनुमन्य मात्रा/सीमा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी।**

प्रस्तर–4.2: ब्याज उपादान

वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित संशोधन		
क्र. सं.	**श्रेणी**	**अनुदान की मात्रा/सीमा**	**क्र.सं.**	**श्रेणी**	**अनुदान की मात्रा/सीमा**
2.	श्रेणी–बी	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	2.	श्रेणी–बी **श्रेणी–बी+**	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)

प्रस्तर–4.3: मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति

वर्तमान व्यवस्था			प्रस्तावित संशोधन	
1.	श्रेणी–ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा	श्रेणी–ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत

		तत्पश्चात् 90 प्रतिशत		
2.	श्रेणी–बी	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	श्रेणी–बी **श्रेणी–बी+**	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत **प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत**

स्पष्टीकरण: श्रेणी–ए व श्रेणी–बी के जनपदों में विनिर्माणक औद्योगिक एककों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु पर देय मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रान्तीय खरीद पर देय इनपुट टैक्स पर भी प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

प्रस्तर–4.4: स्टाम्प शुल्क में छूट

वर्तमान व्यवस्था			**प्रस्तावित संशोधन**		
क्र. सं.	**श्रेणी**	**छूट की मात्रा/सीमा**	**क्र.सं.**	**श्रेणी**	**छूट की मात्रा/सीमा**
2.	श्रेणी–बी	शत प्रतिशत	**2.**	श्रेणी–बी **श्रेणी–बी+**	शत प्रतिशत

प्रस्तर–4.5: विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति

वर्तमान व्यवस्था		**प्रस्तावित संशोधन**	
संयोजित विद्युत भार	**श्रेणी–''बी''** **प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा**	**संयोजित विद्युत भार**	**श्रेणी–''बी'' व ''बी+''** **प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा**
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत	100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	50 प्रतिशत	100 केवीए से ऊपर	50 प्रतिशत

प्रस्तर–4.6: विशेष राज्य परिवहन उपादान

वर्तमान व्यवस्था			**प्रस्तावित संशोधन**	
1.	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7 लाख/ प्रतिवर्ष/ इकाई	**श्रेणी–ए**	**वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।**
2.	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 5 लाख/ प्रतिवर्ष/	**श्रेणी–बी**	**वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय,**

		इकाई		इनमें से जो भी कम हो।
			श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चामाल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

प्रस्तर–4.7: नवीन प्राविधान

श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत क्षेत्रों/जनपदों में निम्नलिखित विनिर्माणक/सेवा गतिविधियों पर उनके सम्मुख उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी:–

क्र. सं.	उत्पाद/क्रियाकलाप	प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा
1.	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिक समर्थित सेवाएं (IT/ITES)	इन्टरनेट व्यय पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता।
2.	कृषि एवं फलाधारित उद्योग (पहाड़ी दालों, फलों तथा साग–सब्जियों की सफाइ, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं संरक्षण)	मण्डी शुल्क में शत–प्रतिशत छूट।
3.	➢ Non alcoholic/alcoholic beverage (Soft Drink) & bottling of alcoholic/non-alcoholic products. ➢ Fermentation/Bottling of Foriegn Liquir such as: Wine, Whisky, Scotch, Beer, Fruit and Grain Based Winery & Vintnery, Bruwery.	● राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञां शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता।

स्पष्टीकरण:

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए एवं बी के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे।	उक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में स्वीकृत अन्य सभी प्रोत्साहन सुविधायें श्रेणी–ए, बी व बी+ के जनपदों/क्षेत्रों में यथावत् लागू रहेंगी। अध्याय–4 से 9 तक वर्णित प्राविधान पूरे प्रदेश में लागू होंगे। विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथासंशोधित–2011) में वित्तीय प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रस्तर–5(1)(VII) तथा 9(2) को क्रमशः निम्नानुसार पढ़ा व समझा जायेगा: (i) भूमि संसाधन विकास प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं पर होने

	वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम ₹ 50 लाख अनुदान के रूप में औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों को अनुदान स्वरूप दी जायेगी। **(ii) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित संस्थाओं से गुणवत्ता चिन्हांकन, आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण, आई.एस.आई. चिन्हांकन, बी.आई.एस., ट्रेड मार्क, कापी राइट पंजीकरण आदि प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय के 75 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1 लाख की धनराशि प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जायेगी।**

अध्याय–5: अवसंरचनात्मक सहयोग

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन
प्रस्तर–5.2 भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत् अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। भूमि आवंटन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय उद्योग मित्र परिषद् द्वारा किया जायेगा।	भूमि की दरों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के आधार पर भूमि की वास्तविक कीमत, अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत, प्रचलित भूमि की दरों को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुये निदेशक उद्योग द्वारा किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत अधिकारी द्वारा ऐसे सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को भी चिन्हित किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भूमि का आवंटन उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली–2015 के नियम–9(ख) में गठित जिला प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा। ''उद्यमी द्वारा क्रय की गई भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनायी जायेगी। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों/मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।''

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए। नीति में शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः544(1)/VII–2–16/146–एम.एस.एम.ई./2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मा. मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा० आर. राजेश कुमार
अपर सचिव।